न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र सं. 11/2022

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पिण्डवाडा जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री दाना पुत्र श्री प्रेमा जाति सरगडा निवासी फुलाबाईखेडा तह. पिण्डवाडा के कायम मुकाम–

1.1 श्री हिम्मत पुत्र श्री दानाजी जाति सरगडा निवासी खाखरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

1.2 श्री मगन पुत्र स्व. श्री दानाजी जाति सरगडा निवासी नया खेडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

1.3 श्री प्रकाश पुत्र स्व. श्री दानाजी जाति सरगडा निवासी नया खेडा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

1.4 श्रीमती नर्मदा पत्नि श्री शंकरलाल पुत्री स्व. श्री दानाजी जाति सरगडा निवासी अचलगढ आबूपर्वत सिरोही।

1.5 श्रीमती बबली पत्नि श्री प्रेमाजी पुत्री स्व. श्री दानाजी जाति सरगडा निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

1.6 श्रीमती संतोषदेवी पत्नि श्री रमेशजी पुत्री स्व. श्री दानाजी जाति सरगडा निवासी तरतोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

1.7 श्रीमती दारमदेवी पत्नि श्री रामनारायण पुत्री स्व. श्री दानाजी जाति सरगडा निवासी गांधीनगर आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :–

1. प्रोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा खाखरवाडा(फुलाबाईखेडा), पटवार हल्का काछौली, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 137 नया खसरा नम्बर 137/637 रकबा 0.13 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि आवंटन सलाहकार समिति की [illegible] दिनांक 17.09.1977 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 35 तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी श्री दाना पुत्र श्री प्रेमा के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया ।

Bullo
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 द्वारा दिनांक 22.02.2023 को उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। अतः अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 के जवाब को शामिल मिसल कर प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 137 नया खसरा नम्बर 137/637 रकबा 0.13 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री दाना पुत्र श्री प्रेमा को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है । आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है । अप्रार्थीगण सद्भावी काश्तकार नहीं था एवं आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नही है एवं काश्त भी नहीं किया है, एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे ।

अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह निवेदन किया गया है कि विवादित खसरा नम्बर 137 नया खसरा नम्बर 137/637 रकबा 0.13 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.09.1977 को श्री दाना पुत्र श्री प्रेमा ग्राम खाखरवाडा (फुलाबाईखेडा) में आवंटन हुई थी। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जे में नहीं है। अतः उक्त आवंटन को निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस एवं अप्रार्थी संख्या 1.1 से 1.7 की ओर से प्रस्तुत जबाव एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा खाखरवाडा(फुलाबाईखेडा), पटवार हल्का काछौली, तह. पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नं. 137 नया खसरा नम्बर 137/637 रकबा 0.13 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 17.09.1977 के द्वारा अप्रार्थी श्री दाना पुत्र श्री प्रेमा को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 85 तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अप्रार्थी श्री दाना पुत्र श्री प्रेमा के नाम से दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का काछौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20.06.2016 के अनुसार उक्त आंवटित आराजी पर अप्रार्थीगण का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुष्टि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी की गई है कि उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है एवं उक्त आंवटन को निरस्त किए जाने पर भी अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का विवादित खसरा संख्या 137 नया खसरा संख्या 137/637 पर कब्जा काश्त नहीं है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तो की पालना नही करने पर आवंटन निरस्त करने के नियमो में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कोई काश्त कर कब्जा नही किया है नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भूमि एवं शेष भूमि को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी । उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढाई जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नही पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार स्पष्ट होता है कि मौके पर कब्जा नही है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खाखरवाडा(फुलाबाईखेडा), पटवार हल्का काछौली, तह. पिण्डवाड़ा जिला सिरोही के खसरा नं. 137 नया खसरा नम्बर 137 / 637 रकबा 0.13 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 17.09.1977 के द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:25:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner